न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्याः– 53/2022
दायर दिनांकः– 23.05.2022
निर्णय दिनांकः– 07.06.2022

उनवान

1 श्री त्रिलोकीनाथ पिता नरेन्द्रनाथ योगी निवासी बुल।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री उदेराम पिता किशना गाडरी निवासी बुल।
2 श्रीमती उदीबाई पुत्री किशना गाडरी निवासी बुल।
3 श्रीमती कंकुबाई पुत्री किशना गाडरी निवासी बुल।
4 श्रीमती कैलाशी बाई पुत्री किशना गाडरी निवासी बुल।
5 श्रीमती चन्दाबाई पुत्री किशना गाडरी निवासी बुल।
6 श्री बालुराम पिता किशना गाडरी निवासी बुल।
7 श्री धन्ना पिता टोलू भील निवासी बुल का खेडा।
8 श्री लोगर पिता टोलू भील निवासी बुल का खेडा।
9 श्रीमती कैलाशी पिता टोलू भील निवासी बुल का खेडा।
10 श्री कालु पिता भगवानलाल जाटा निवासी बुल।
11 श्री चावण्डसिंह पिता शम्भु सिंह राजपूत निवासी बुल।
12 श्री उदेराम पिता करणसिंह राजपूत निवासी बूल।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

: निर्णय :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण हाजिर नही। बार–बार आवाजे लगाई गई फिर भी अप्रार्थीगण की तरफ से कोई हाजिर नही हुआ। इस कारण अप्रार्थीगण के विरूध एक तरफा कार्यवाही की गई। वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना पत्र हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। अतः वकील प्रार्थी की बहस एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा–128 **एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी** का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा **बुल** पटवार हल्का **बुल** तहसील भूपालसागर की **आराजी संख्या 1385 रकबा 0.10 है.आ0सं0 1408 रकबा 0.19 है. आ0सं0 1642/1409 रकबा 0.21 है., आ0सं0 1386 रकबा 0.39 है.आ0सं0 1387 रकबा 0.27 है.** भूमि में [illegible] की जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर [illegible] ओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर [illegible] तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **07.06.2022** को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.06.08 17:33:19 IST
Reason: SelfAttested